उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

विविध अपील वाद संख्या – 04 / 2015

बालेश्वर करमाली बनाम अरबिन्द जायवाल वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
20-02-2019	–: आदेश :–	

अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर विविध वाद संख्या–07 / 2014–15 बालेश्वर करमाली बनाम् जागो साव में दिनांक–02.06.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा विविध अपील वाद अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में दायर किया गया है। उभय पक्षों के विद्वान् अधिवक्ता का बहस सुना एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि सर्वे खतियान में आदिवासी खाता दर्ज है, जबकि विपक्षी वाजिदावा से वर्ष–1959 से प्राप्त कर दखल होने का दावा करते है, साथ ही दखल की तिथि से लगातार लागान रसीद प्राप्त करने का दावा करते है। वर्त्तमान मामला कायम जमाबन्दी को रद्द कर नया जमाबन्दी कायम करने से सम्बन्धित है। इसलिए इस मामले में आवश्यक है कि Limitation, surrender, Settlement, Resjuticata, Adverse Possession एवं **वर्त्तमान दखल कब्जा** के सम्बन्ध में विस्तृत जाँच की आवश्यकता प्रतीत होता है, तद्नुसार समूचित आदेश पारित किया जाय।

अतः अंचल अधिकारी, रामगढ़ एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उपर्युक्त बिन्दुओं के आलोक में नए सिरे से पुनः आदेश पारित करने हेतु यह वाद उन्हें **रिमाण्ड** किया जाता है। इस मन्तव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

20/2/19

उपायुक्त,
रामगढ़।

20/2/19

उपायुक्त,
रामगढ़